[illegible] संख्या 108/18

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	२८/२/१९	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक ७/३/१९ को पेश हो।
	७/३/१९	[illegible] कैम्प कार्य में व्यस्त [illegible] पेश [illegible]। पूर्वानुसार कार्यवाही दिनांक 8/5/19 को पेश हो।
	8/5/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी की बहस पूर्व में सुनी गई। बहस सुनने व अप्रार्थी सं० 1 ता 11 का जवाब का अवलोकन करने पर उभय पक्षों को उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है जिसको कानूनी हक अधिकार है। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 L.R. Act को स्वीकार किया जाता है यदि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 428, ख०न० 437, ख०न० 438 वाके ग्राम भावपुरा पटवार हल्का मनोता तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर पर किसी अन्य न्यायालय का

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामग[illegible]

मु० नं० - 108/18 सीताराम बनाम जगदीश वगै०

स्थगन आदेश न हो तो तहसीलदार जमवारामगढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि वे दोनों पक्षों को सूचित कर उनकी मौजूदगी में दावाग्रस्त आराजीयात की चारों तरफ की सीमाओं का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद प्रति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8/4/2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2020.02.24 14:04:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: